न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 10/2021 दायर दिनांकः 11/01/2021

उनवान

1. हेमन्त आयु 32 वर्ष पुत्र मोहनलाल जाति धाकड निवासी अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. रमेशचन्द आयु 35 वर्ष पुत्र मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी अर्डान्द तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट
एवं धारा 131, 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

आदेश दिनाकः 21/04/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए, आर.टी.एक्ट. एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल अर्डान्द तहसील अटरू की खाता संख्या 320 की ख0न0 366/1169 रकबा 1.64 है0 आराजी वादी के खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 व नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। ग्राम एवं माल अर्डान्द तहसील अटरू की खाता संख्या 235 की ख0न0 366 रकबा 1.63 है0 आराजी प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 व नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वादी व प्रतिवादी कम 1 दोनों सगे भाई है। उक्त आराजी के पूर्व में एक ही खसरा 366 था। जिसका विभाजन करवा लिया था दोनों सगे भाई ने मौके पर विभाजन कर लिया था। जिसमें दक्षिण दिशा की वादी के

हिस्से में आयी थी व उत्तर दिशा की प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से में आयी थी। तथा दोनों सगे भाई बटवारा अनुसार विभाजन के समय ही कब्जा काश्त करते चले आ रह है तथा उसी अनुसार दोनों सगे भाईयों ने भूमि सुधार एवं कृषि विकास कार्य मेडबन्दी, तारबन्दी करवा रखी है। दोनों भाईयों ने राजस्व रिकार्ड में विभाजन करवाया था जिसमें वादी व प्रतिवादी की जानकारी के अभाव में प्रतिवादी क्रम 2 के कर्मचारियों द्वारा विभाजन नहीं किया तथा वादी के हिस्से में उत्तर से दक्षिण पूर्व दिशा की व उत्तर से दक्षिण पश्चिम दिशा की प्रतिवादी क्रम 1 की राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में अंकन कर दिया गया जिसको वादी दुरूस्त करवाकर उत्तर दिशा की ख0नं0 366 रकबा 1.63 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के व दक्षिण दिशा की ख0नं0 366/1169 रकबा 1.64 है0 वादी के राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम करवाने का अधिकारी है। जिसको बिना न्यायालय की सहायता के नही करवाया जा सकता है। अस्तु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश है। राजस्थान सरकार प्रतिवादी क्रम 2 भूमि धारक होने एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिसको धारा 80 सी0पी0सी0 का मियादी 2 माह का रजिस्टर्ड नोटिस नहीं दिया गया है। वाद कारण वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 2 से कई बार मौखिक एवं लिखित निवेदन करने के बावजूद भी दिनांक 04.01.2021 को रिकार्ड दुरूस्त नहीं करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य है। वाद की विषय वस्तु पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद पत्र की द्वितीय प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है। अतः वादी वाद प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चा सादिर फरमाई जावे किः–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी उत्तर दिशा की ख0नं0 366 रकबा 1.63 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के व दक्षिण दिशा की ख0नं0 366/1169 रकबा 1.64 है0 वादी के राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 2 को प्रदान किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई, प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 3 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 6 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 7 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 8 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 9 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 9 कानूनी है। अनुतोष वादी स्वीकार है। अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित उत्तर दिशा की ख0नं0 366 रकबा 1.63 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 व दक्षिण दिशा की ख0नं0 366/1169 रकबा 1.64 है0 आराजी वादी के राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 2 को प्रदान किया जावे। साक्ष्यवादी के तहत **pw 1** व साक्ष्यप्रतिवादी के तहत **dw1** के शपथ पत्र पेश किये गये ।

अभिभाषकगण की बहस सुनी, अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी उत्तर दिशा की ख0नं0 366 रकबा 1.63 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के व दक्षिण दिशा की ख0नं0 366/1169 रकबा 1.64 है0 वादी के राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 2 को प्रदान किया जावे। अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष पर सहमति दी गई तथा आपसी सहमति से दोनों ख0नं0 की दिशाऐं बदलवाने को तैयार है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया। ग्राम एवं माल अर्डान्द तहसील अटरू की जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या 320 की ख0न0 366/1169 रकबा 1.64 है0 आराजी वादी के खाते दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 ग्राम एवं माल अर्डान्द तहसील अटरू की खाता संख्या 235 की ख0न0 366 रकबा 1.63 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 रमेश पुत्र मोहनलाल के दर्ज खाता स्थित है। रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद आपसी सहमति से अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए, आर.टी.एक्ट. एवं धारा 131, 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल अर्डान्द तहसील अटरू की खाता संख्या 320 की ख0न0 366/1169 रकबा 1.64 है0 तथा खाता संख्या 235 की ख0न0 366 रकबा 1.63 है0 आराजी में नक्शा तरमीम किये जाने के आदेश किये जाते है।

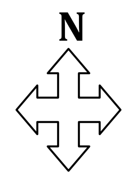

Table-1 रिकार्ड की स्थिति | **Table-2** मौके की स्थिति

ख0नं0 366	ख0नं0 366/1169		ख0नं0 366
			ख0नं0 366/1169

तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्त वर्णित आराजी की तरमीम करवाई जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड नक्शे में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां